न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश मेहरा आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 38/2023 अपील

1. नन्द लाल पुत्र बालू कुम्हार निवासी भोली
2. कन्हैयालाल पुत्र बालू कुम्हार निवासी भोली
3. कैलाश पुत्र बालू कुम्हार निवासी भोली मृतक के बजाय –
   3/1 डाली देवी पत्नि कैलाश कुम्हार निवासी भोली
   3/2 शिवदयाल पुत्र कैलाश कुम्हार निवासी भोली
   3/3 किशन पुत्र कैलाश कुम्हार निवासी भोली
   3/4 ललिता पुत्री कैलाश कुम्हार निवासी भोली
4. केसरीमल पुत्र बालू कुम्हार निवासी भोली जिला भीलवाडा

–अपीलार्थीगण

बनाम

1. कमला देवी पुत्री बालू कुम्हार पत्नि रामप्रसाद कुम्हार निवासी भोली हाल निवासी कलिंजरी गेट, तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा
2. कंकू देवी पुत्री बालू कुम्हार पत्नि प्रहलाद कुम्हार निवासी–भोली हाल निवासी चुंगी नाका के पास, पुर तहसील एवं जिला भीलवाड़ा
3. प्रेम देवी पुत्री बालू कुम्हार पत्नि रतन लाल कुम्हार निवासी भोली हाल ऋषि श्रृंग स्कूल के सामने, भवानीनगर, भीलवाडा
4. मांगी पुत्री मोहन कुम्हार पत्नि छोटु लाल कुम्हार निवासी भोली हाल आरजिया भीलवाडा।
5. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार भीलवाडा

–रेस्पोडेण्टगण

अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 608 दिनांकित 20.02.2023 नायब तहसीलदार भीलवाडा

अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थित –

1. श्री विनोद आचार्य अधिवक्ता – अपीलार्थीगणों की ओर से
2. श्री पृथ्वीराज चौधरी अधिवक्ता – विपक्षी संख्या 01 से 04 की ओर से

निर्णय

दिनांक 05.03.2025

अपीलार्थी की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि सरहद माधोपुर पटवार हल्का मण्डपिया तहसील व जिला भीलवाड़ा में आराजी नम्बर 38, 39, 41, 42, 44 कुल किता 05 रकबा 06 बीघा 03 बीस्वा एवं सरहद भोली तहसील एवं जिला भीलवाड़ा में

करने के आदेश दिये जाते हैं।

अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मेमों में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुये निवेदन किया कि सरहद माधोपुर पटवार हल्का मण्डपिया तहसील व जिला भीलवाड़ा में आराजी नम्बर 38, 39, 41, 42, 44 कुल किता 05 रकबा 06 बीघा 03 बीस्वा एवं सरहद भोली तहसील एवं जिला भीलवाड़ा में आराजी नम्बर 499, 504 कुल किता 02 रकबा 06 बीघा 06 बीस्वा भूमि स्थित है, उक्त आराजियात में रेस्पोन्डेंट संख्या 01 लगायत 04 एवं श्रीमती अलोल पत्नि श्री बालू कुम्हार द्वारा अपीलार्थीगण को रजिस्टर्ड रिलीज डीड के हकत्याग की गयी, जिसका नामान्तरण आवेदन को अधीनस्थ्य न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया जो विधि एवं तथ्यों के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय में पटवारी एवं गिरदावर द्वारा विरासत के आधार पर नामान्तरकरण भरा गया। किन्तु रेस्पोन्डेट 1 के प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र के आधार पर गुड्डी (बहिन) का तथ्य बताया गया। जिसके आधार पर उक्त नामान्तरण खारिज कर दिया गया। उक्त प्रकरण में गुड्डी ने अपने हिस्से की मांग नहीं की है व न ही रजिस्टर्ड रिलीज डीड को किसी के द्वारा चुनौती दी गई है। अधीनस्थ न्यायालय का केवल रजिस्टर्ड रिलीज डीड के आधार पर व बालू की विरासत के आधार पर अपीलार्थीगण के नाम पर दर्ज करनी थी, जो कि एक फिसकल प्रोसिडिंग है। इसके विपरीत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को समुचित सुने बिना ही अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर आदेश पारित कर दिया जो, विधि के विरूद्ध होने से अपास्त होने योग्य है। निवेदन हैं, कि नामान्तरण संख्या 606 निर्णय दिनांक 20.02.2023 अपास्त फरमाया जाकर, वादग्रस्त आराजियात का नामानतरण अपीलार्थीगण के पक्ष में खोला जाने का आदेश प्रदान करावें।

विपक्षी अधिवक्ता ने अपने जवाब के बिन्दुओं को दोहराते हुये बहस में बताया कि ग्राम भोली की आराजियात नम्बर 499, 504 को छोड़ते हुये नामान्तरकरण अपीलार्थीगण के नाम दर्ज रिकार्ड इन्द्राज करने में विपक्षीगण सहमत है। अधीनस्थ न्यायालय का नामान्तरकरण संख्या 606 दिनांकित 20.02.2023 अपास्त कर पंजीकृत कर हकत्याग के आधार पर नामान्तरकरण खोला जाने हेतु वर्तमान नायब तहसीलदार सुवाणा को आदेश प्रदान करावें।

पत्रावली का आद्योपान्त गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया और बहस पर मनन ... के आदेश का अवलोकन किया गया।

जिसके उपरान्त यह पाया कि अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तरकरण संख्या 606 में विपक्षी कमला द्वारा बालू की पुत्री गुडडी का होने बाबत् शपथ पत्र पेश किये जाने पर वारिसान की जांच संदेहास्पद होने से प्रश्नगत नामान्करकरण संख्या 606 दिनांकित 20.02.2023 को अपास्त किया गया, जिसमें विधिक रूप से कोई त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अपीलार्थी ने अपनी अपील मेमों की कॉलम संख्या 03 में अंकन किया कि गुडडी द्वारा न तो किसी प्रकार की कोई आपत्ति की है, व न ही किसी प्रकार गुडडी द्वारा हक हिस्से की मांग की गयी है, व न ही रजिस्टर्ड रिलीज डीड को चैलेंज किया गया हैं। अपीलार्थी के उक्त कथन से यह प्रथम दृष्टया प्रकट होता हैं कि उक्त प्रकरण में विरासत की श्रृंखला में गुडडी भी एक पक्षकार थी, जिसे विरासत की जांच में अनदेखा कर पटवारी व गिरदावर हल्का द्वारा विरासत की जांच के आधार पर नामान्तरकरण भरा गया। उक्त नामान्तरकरण में बाद जांच कमला के शपथ पत्र के आधार पर गुडडी की विरासत का खुलासा हुआ, जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 606 खारिज किया गया जो, विधि अनुसार सही प्रतीत होता है।

उक्त विवेचन अनुसार अपीलाण्ट अपीलार्थी की अपील सारहीन, तथ्यहीन व आधारहीन होने से स्वीकार योग्य नहीं ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

अपीलान्ट की ओर से अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भीलवाडा के नामान्तरकरण संख्या 606 निर्णय दिनांक 20.02.2023 के विरूद्व प्रस्तुत अपील सारहीन, तथ्यहीन व आधारहीन होने से अपील खारिज की जाती हैं। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भीलवाडा को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 05.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश मेहरा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाडा

अति. जिला कलेक्टर
भीलवाडा

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाडा (राज.)